



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक.....12...../2016

दिनांक 11/03/2016

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटियों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि दण्ड ब्याज में छूट।


—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के परिपत्र क्रमांक 726/2015 दिनांक 03.12.2015 एवं 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-08 संकल्प क्रमांक 1349-08/49/12/2015 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित एच.आई.जी./एम.आई.जी. भवनों के विरुद्ध बकायादारों को पूर्ण अवशेष राशि जमा करने पर दायित्व ब्याज में 50% एवं एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के विरुद्ध बकायादारों को दायित्व ब्याज में 100% छूट की अवधि दिनांक 31 दिसम्बर 2015 तक वृद्धि की गयी है। उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किया जाकर मण्डल के परिपत्र क्रमांक 774/2015, दिनांक 22.12.2015 को आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है।

वर्तमान में आबंटियों द्वारा उक्त अवधि के उपरांत भी दायित्व ब्याज में छूट का लाभ लेने हेतु मण्डल कार्यालय में निरंतर संपर्क कर विशेष रुचि लिया जा रहा है। आबंटियों के द्वारा सूचित किया जा रहा है कि उक्त सीमित अवधि में निधि की कमी एवं सगय में सूचना प्राप्त न होने के कारण उक्त दायित्व ब्याज में छूट का लाभ नहीं लिया जा सका एवं अनुरोध किया जा रहा है कि दायित्व ब्याज में छूट हेतु निर्धारित अवधि को बढ़ाया जाये, जिससे कि योजना का लाभ लेते हुए पूर्ण अवशेष राशि जमा करने पर दायित्व ब्याज में उपरोक्त नियमानुसार लाभ लिया जा सके।

अतः आबंटियों के अनुरोध अनुसार पुनः मण्डल के भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित एच.आई.जी./एम.आई.जी. भवनों के विरुद्ध बकायादारों को पूर्ण अवशेष राशि जमा करने पर दायित्व ब्याज में 50% एवं एल.आई.जी./ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के विरुद्ध बकायादारों को दायित्व ब्याज में 100% छूट की अवधि दिनांक 31 मार्च 2016 तक वृद्धि की जाती है।

आदेशानुसार


11-03-16

मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल


मुख्यालय ,रायपुर

क्रमशः-02

पृ.क्र. 601 /स.प्र.शा./मु.सं.अधि./मुख्या/फा.नं.-185/16 रायपुर, दिनांक 11/03/2016
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
13. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
14. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी,संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/ 02/ 03, रायपुर / दुर्ग /जगदलपुर/बिलासपुर/ रायगढ़/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2 रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/ जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,नया रायपुर/विद्युत संभाग-02,मुख्यालय रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
- ✓ 17. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
18. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आदेशानुसार


11-03-16
मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय ,रायपुर